अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी।

स्वत्व वाद 67 / 1995

आदेश

16-12-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से बजरिये अधिवक्ता हाजिरी दी गई। प्रतिवादी सं0–2, 3, 6, 8 से 8 सी एवं 10 से 13 की ओर से हाजिरी दी गई। वाद पुकार किया गया। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी सं0–2, 3, 6, 8 से 8 सी एवं 10 से 13 के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हुए। तत्पश्चात् प्रतिक्षेपी प्रार्थी तबस्सुम आरा, पिता– हफिजुल्लाह, पति– स्व0 शौकत अली के पूर्व आवेदन दिनांक–05.12.2022 अंतर्गत आदेश 1, नियम 10(2) एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता एवं वादी की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर पर सुनवाई किया गया, जिसमें प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत अधिकार वाद में विवादग्रस्त भूमि जिसका सर्वे प्लॉट नं0–2215, खाता नं0–848, तौजी नं0–303, थाना नं0–11, कुल क्षेत्रफल 5.51 एकड़ है, विवादित सम्पत्ति प्रार्थी के दादा मौलवी मो0 कुदरतुल्लाह रहमानी, पिता– मौलवी मो0 तुर्राबुल्लाह महरूम को भू–स्वामी (जमींदार) सैयर शाह हामिद हुसैन से हुकुमनामा दिनांक–10 आसिन 1352 फसली वर्ष 1945 में 8 बीघा 5 कट्ठा जमीन पूर्वज को प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत अधिकार वाद में प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि से संदर्भित है, इसलिए प्रार्थी को प्रतक्षेपी प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार के रूप में बनाने के कृपा की जाय, जिसके संदर्भ में खतियान की कॉपी एवं हुकुमनामा पट्टा एवं रसीद की कॉपी दाखिल किए हैं, जो मौलवी मो0 कुदरतुल्लाह रहमानी, पिता– मौलवी मो0 तुर्राबुल्लाह साहब महरूम के नाम से दर्ज है। इसलिए पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाय।

वादी के द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के माध्यम से वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रार्थी का आवेदन पोषणीय नहीं है। इसलिए इनके आवेदन को खारिज किया जाय। प्रार्थी के द्वारा जो खतियानी रैयत के द्वारा हुकुमनामा दिनांक–10 आसिन फसली वर्ष 1995 के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि उसका सलाना मालगुजारी जमा करते हैं, उक्त तथ्य पूर्णतः असत्य, बनावटी है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–05.12.2022 तबस्सुम आरा के आवेदन को न्यायहित में खारिज किया जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के द्वारा जो आवेदन दाखिल किया गया है एवं जो अपने समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह हुकुमनामा के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति में से कुछ भाग उनके पूर्वज द्वारा प्राप्त किया गया है, साथ–ही यह भी ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद के वादी के द्वारा भी जो वाद लाया गया है कि वह विवादग्रस्त भूमि हुकुमनामा से प्राप्त हुआ है और न्यायालय को यह भी ज्ञात होता है कि अन्य प्रतिवादीगण भी हुकुमनामा के आधार पर

.....लगातार

ही प्रतक्षेपी प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किए गए हैं, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद में वादग्रस्त भूमि हुकुमनामा के आधार पर ही सभी पक्षकार अपना–अपना दावा करते हैं, सिवाय बिहार सरकार के। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि प्रार्थी का आवेदन न्यायहित में स्वीकार करते हुए उन्हें प्रतक्षेपी प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है, साथ–ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत अधिकार वाद अत्यंत पुराना है एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना का दिशा–निर्देश प्राप्त है कि इसे यथाशीघ्र निष्पादन करें, इस आलोक में प्रतक्षेपी प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि को अपना लिखित कथन दाखिल करें, अन्यथा उचित आदेश पारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु नियत किया जाएगा। वाद वास्ते दिनांक–23.12.2022 प्रतक्षेपी प्रतिवादी का नाम पृष्ठांकन एवं लिखित कथन दाखिल करने हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी
16.12.2022